संख्या-15/2020/1509 /46-2-20-302(3)/20

प्रेषक,

पवन कुमार गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि.,
लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 13 अक्टूबर, 2020

विषय- उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की चीनी मिलों को पेराई सत्र 2020-21 के लिये उ.प्र. सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों द्वारा दी जाने वाली नकद साख सीमा (कैश क्रेडिट लिमिट) हेतु शासकीय गारण्टी दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-2239यू.पी.एफ./प्र.प्र.(लेखा)/जी.87/यू.पी.सी.बी. /2020-21 दिनांक 19.08.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा. मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 09.10.2020 को परिचालन के माध्यस से दिए गए अनुमोदन के क्रम में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की चीनी मिलों को पेराई सत्र 2020-21 के लिये संलग्नक सूची में अंकित चीनी मिलों के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित धनराशि के अनुसार कुल रू.3650/- करोड़ (रूपए तीन हजार छः सौ पचास करोड़ मात्र) की नकद साख सीमा के विरूद्ध शासकीय गारण्टी एवं उक्त शासकीय गारण्टी पर देय गारण्टी शुल्क रू.9.125 करोड़ (रूपए नौ करोड़ बारह लाख पचास हजार मात्र) के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है।

3. अतः अनुरोध है कि उक्त शासकीय गारण्टी हेतु देय विधीक्षण शुल्क का भुगतान करते हुए ट्रेजरी चालान/रसीद सहित शासकीय गारण्टी हेतु विलेख तैयार कराकर तत्काल शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त। भवदीय,

(पवन कुमार गंगवार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-15 /2020/1509 (1)/46-2-2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक (अग्रणी बैंक) 2-महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ।**
2. **सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक, मेरठ (अग्रणी बैंक), मुरादाबाद (अग्रणी बैंक), लखीमपुर खीरी (अग्रणी बैंक), रामपुर (अग्रणी बैंक), मुजफफरनगर (अग्रणी बैंक) एवं बिजनौर (अग्रणी बैंक)।**
3. **वित्त नियन्त्रक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक/जिला सहकारी बैंकों द्वारा स्वीकृत की जाने वाली नकद साख सीमा पर शासकीय गारण्टी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने के साथ-साथ शासकीय गारण्टी एवं काउन्टर गारण्टी के प्रारूप भी विधीक्षण हेतु निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा कराते हुए उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**
4. **प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**
5. **वित्त (व्यय) नियन्त्रण अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4**
6. **गार्ड फाईल।**

आज्ञा से,

(बच्चू लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।